

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प0 16(39)साप्र/5/88

जयपुर, दिनांक : 14.03.2012
16

आदेश

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में प्रवास हेतु प्रचलित दरें ए.बी.सी व डी चार ग्रुपों में परिभाषित की हुई है। दरों के निर्धारण हेतु कमरा किराया, टीवी, कमरा कूलर, गीजर, एसी इत्यादि सभी सुविधाओं के पृथक चार्ज निर्धारित किये हुये हैं। इससे बिल बनाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.05.2001, 26.05.2002, 26.06.2006 एवं 08.09.2009 के अतिक्रमण में इन दरों में उक्त सुविधाओं को सम्मिलित कर इकजाई दरें निम्नानुसार संशोधित कर निर्धारित की जाती हैं :-

1. वर्तमान चार केटेगरियों को दो केटेगरी में सीमित किया जाता है :-

(अ) राजकीय (Official)

- राजकीय दौरे पर (वर्तमान पात्रता ग्रुप-ए)
- अवकाशकाल में (वर्तमान पात्रता ग्रुप-बी)
- पूर्व मंत्रीगण/पूर्व सांसद/पूर्व विधायक एवं से0नि0 अधिकारी (वर्तमान पात्रता ग्रुप-सी)

(ब) गैर-राजकीय (Non-official)

सरकार द्वारा अधिकृत अतिथि, राजकीय अतिथि/विभागीय अतिथि/प्राइवेट व्यक्ति
(वर्तमान पात्रता ग्रुप-डी)

2. कमरों की दरों के निर्धारण में दो केटेगरी रखी जाती हैं :-

(अ) वातानुकूलित

- वीआईपी सूईट्स
- एसी कमरा

(ब) गैर-वातानुकूलित

- कूलर कमरा
- अतिथियों के साथ निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी, च0श्रे0क0 एवं वाहन चालक आदि।

चार्ज

चार्ट - 1

"राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान में स्थित सभी विश्राम भवनों में केटेगरी (अ)(i) की निर्धारित दरें"

(Amount in ₹)

क्र.सं.	विवरण	जयपुर के अलावा राजस्थान के समस्त विश्राम भवन	विश्राम भवन, जयपुर	राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली
1	सूईट	76	111	201
2	एसी	76	111	201
3	नॉन-एसी	55	80	80
4	चाय	2	2	2
5	कॉफी	3	3	3
6	नाश्ता	15	15	15
7	लन्च/डीनर (वेज)	20	20	20

चार्ट - 2

“राजस्थान में स्थित सभी विश्राम भवनों में कैटेगरी (अ)(ii), (iii), कैटेगरी (ब) की निर्धारित दरें”
(Amount in ₹)

कमरे का इकजाई चार्ज विवरण	अन्य राज्य के, जज अवकाश पर राज्य के पात्र अधिकारी एवं अ.भा.से के प्रशिक्षु अधिकारी	अन्य राज्य, भारत सरकार के अधि. पूर्वमंत्री/ विधायक एवं पात्र, सेवानिवृत्त अधिकारी	जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, मारुत आबू, जैसलमेर, जोधपुर स. माधोपुर, एवं उदयपुर		कैटेगरी (ब) गैर-सरकारी/ प्राइवेट/ राजकीय अतिथि
कमरा	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब)	शेष अन्य सभी स्थान
वीआईपी सूईट	300	700	900	2455	1200
वातानुकूलित	165	355	405	1330	490
कूलर कमरा	80	245	295	1160	360
अतिरिक्त बैड	20	30	30	100	100
सिंगल ट्रे चाय	2	2	2	12	12
सिंगल ट्रे काफी	3	5	5	20	20
नाश्ता	20	20	20	50	50
लन्च/ डीनर(वेज)	30	30	30	75	75

चार्ट - 3

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली

(Amount in ₹)

क्र. सं.	कमरे का इकजाई चार्ज	कैटेगरी (अ)(i)	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब)
1	वीआईपी सूईट	201	300	900	5000
2	वातानुकूलित	201	225	420	3275
3	अतिरिक्त बैड	80	30	30	500
4	सिंगल ट्रे चाय	2	2	5	15
5	सिंगल ट्रे काफी	3	3	8	20
6	नाश्ता	15	20	20	55
7	लन्च/ डीनर (शाकाहारी)	20	30	30	100

चार्ट - 4

सर्किट हाउसेज के कन्फ्रेन्स हाल का 3 घण्टे का किराया बिजली सहित निर्धारित दरें

Amount in (₹)

क्र.सं.	सर्किट हाउस का नाम	राजकीय विभागों/उपक्रमों से	भारत सरकार/निजी व्यक्तियों से
1	राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	5000	10000
2	समस्त सर्किट हाउस	1000	5000
3	फर्नीचर व अन्य सुविधा व्यवस्था	किरायेदार द्वारा स्वयं की जायेगी	किरायेदार द्वारा स्वयं की जायेगी
4	राज.स्टेट गैस्ट हाउस, घाणक्यपुरी, नई दिल्ली	5000	10000

चार्ट - 5

सर्किट हाउस कर्मचारियों से उसी सर्किट हाउस में उपभोग की जाने वाली केटरिंग सुविधाओं हेतु निर्धारित चार्जेज


Amount in (₹)

क्र.सं.	पद नाम	अतिरिक्त कार्य समय में (प.11(39) साप्र/1/81 दिनांक 30.1.96)		नियमित कार्य समय में (प.11(39) साप्र/1/91 दिनांक 9.2.93)	
		प्रति वेज खाना	प्रति कप चाय	प्रति एक प्लेट चावल+दाल, एक सब्जी+चार चपाती	प्रति कप चाय
1	मैनेजर	15	2	5	1
2	सी.हाउसकीपर	15	2	5	1
3	हाउस कीपर	15	2	5	1
4	अन्य कर्मचारी	15	2	5	1

- नोट : 1. कैटेगरी (ब) के अतिथियों से उपरोक्त दरों के अलावा कुल बिल की राशि पर 10% सर्वेन्ट ग्रेच्युटी की राशि अतिरिक्त रूप से चार्ज की जायेगी।
2. माउण्ट आबू में सीजन/ऑफसीजन हेतु दरें समान रूप से लागू होंगी। राजकीय कुटीर में प्रवास हेतु दरें विश्राम भवन स्थित वीआईपी सूईट्स के समान रहेंगी।
3. मंत्रीगण/अधिकारियों के साथ आने वाले अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों से ₹ 10/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चार्ज किया जावेगा।

यह स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की ID संख्या 101200659 दिनांक 23.02.2012 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की ID संख्या F. 12001207 दिनांक 13.03.2012 द्वारा जारी सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. आर.पी. जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
10. निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल।
11. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय।
13. उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या F.12001207 दिनांक 13.03.12 के क्रम में।
14. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की आई.डी. संख्या 101200659 दिनांक 23.02.2012 के क्रम में।
15. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
16. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
17. व0 लेखाधिकारी, सा0प्र0(ग्रुप-4)विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0प्र0विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।


(राजीव जैन)
शासन उप सचिव